संख्या– /XXII/2006

प्रेषक,

डी0के0 कोटिया,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

सूचना अनुभाग:

देहरादूनः दिनांक 28 अगस्त, 2006

विषयः– आयोजनेत्तर पक्ष की मद में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय आदेश संख्या–980/स.सू./स0अ0/2006 दिनांक 19–8–2006 के क्रम में दिनांक 25–8–2006 से 7–9–2006 तक श्रीमती हंसी बृजवासी, सूचना अधिकारी, दिल्ली को मलेशिया–सिंगापुर,आस्ट्रेलिया के भ्रमण पर होने वाले व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष, 2006–07 में अनुदान संख्या–14 लेखाशीर्षक–2220–सूचना एवं प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक–बी0एम0–15 के विवरणानुसार रूपये1,80,00/– (रूपये एक लाख अस्सी हजार)मात्र को पुनर्विनियोग के माध्यम से अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकारी नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना कि स्वीकृत नार्म है, लेकिन नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–14 लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत संलग्नक–प्रपत्र बी0एम0–15 में इंगित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा

5– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0संख्या– 497/वित्त (व्यय– नियंत्रक) अनुभाग–5/2006 दिनांक 22 अगस्त ,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(डी0के0 कोटिया)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या – 199/XXII/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–5,उत्तरांचल शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

(1)

प्रपत्र बी0एम0 15

पुर्नविनियोग वित्तीय वर्ष 2006–07

नियंत्रक अधिकारी– महानिदेशक सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग, उत्तरांचल प्रशासनिक विभाग– सूचना अनुभाग, उत्तरांचल शासन
अनुदान संख्या– 14 मतदेय– आयोजनेत्तर

(धनराशि हजा

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का मदवार विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद अवशेष धनराशि स्तम्भ–1	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2220 सूचना तथा प्रचार – आयोजनेत्तर –60–अन्य –101–विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार –05–अधिष्ठान –00 मानक मद– 19–विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय बजट – 70000	5752	64068	180	2220 सूचना तथा प्रचार –आयोजनेत्तर –60–अन्य –102–सूचना केन्द्र का अधिष्ठान –03–अधिष्ठान –00 मानक मद– 04–यात्रा व्यय पुनर्विनियोग– 180	230	69820	श्रीमती हंसी बृजवासी, सूचना उत्तरांचल राज्य सूचना केन्द्र को मलेशिया, सिंगापुर एवं आस्ट्र यात्रा पर जाने के लिए कार्यालय ज्ञाप सं.–980/स /2006 दिनांक: 19 अगस्त 200 विभागीय स्वीकृति प्रदान की गइ निमित्त श्रीमती बृजवासी को यात्रा मद में रू. 180 हजार का अग्रिम किया जाना है। सुसंगत मद धनराशि उपलब्ध न होने के पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था की जानी है।
योग– 70000	5752	64098	180	180	230	69820	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघन नहीं

(एस.एस.वल्दिया)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग– 5

संख्याः 497(1)/XXII/198 - 2006
देहरादून, दिनांकः 23 अगस्त 2006

पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(एन. एन. थपलियाल)
अपर सचिव

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्याः 199 /XXII/198 - 2006 देहरादून, दिनांकः 23 अगस्त ~~मार्च~~ 2006

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–5
4. गार्ड फाईल

(एस.एस. वल्दिया)
उप सचिव